कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी–गोरखपुर

पत्रस0 –सी0एफ0ओ0 / निरीक्षण–एफ0एस0–2020 दिनांक:–20 / 06 / 2020

सेवा मे,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य
मेंसर्स–स्व0 रामरहस्य महाविद्यालय सिंहपुर हरैया,
चौरी चौरा–गोरखपुर।

विषयः–आपके स्व0 रामरहस्य महाविद्यालय सिंहपुर हरैया, चौरी चौरा–गोरखपुर महाविद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन / जीवरक्षा व्यवस्था का अग्निसुरक्षा की दृष्टिकोंण से निरीक्षण कर अग्निशमन का नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–आपका पत्रांक दिनांक 20 / 06 / 2020

उपरोक्त विषयक संदर्भ में स्व0 रामरहस्य महाविद्यालय सिंहपुर हरैया, चौरी चौरा –गोरखपुर में स्थापित अग्निशमन / जीवरक्षा व्यवस्था का अग्निसुरक्षा की दृष्टिकोंण से निरीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य पाये गये। विवरण निम्नवत है–

1– पहुँच मार्गः– महाविद्यालय भवन तक अग्निशमन के वाहन सुगमता पूर्वक आवागमन करते हुए अग्निशमन कार्य कर सकते है।
2– महाविद्यालय भवन मे एन.बी.सी मानक के अनुसार अग्निशमन कार्य हेतु भवन के टेरेस टैंक 5000 ली0 क्षमता का तथा 450 एल0पी0एम0 का टेरेस पम्प वाछित है।
3– स्कूल भवन में एन.बी.सी मानक के अनुसार फरटएड होजरील सिरस्टम वांछित है।
4– भवन में निकास मार्ग के प्रदिप्त संकेत चिन्ह कार्यशील पाये गये।
5– भवन में निकास मार्ग की व्यवस्था मानक के अनुसार कार्यशील पाये गये।
6– भवन मे स्थापित सभी फायर एक्सटिग्यूशर कार्यशील, सन्तोशजनक दशा मे पाया गया।
7– महाविद्यालय में कार्यरत उपस्थित सभी कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्रो को चलाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
8– ज्वलनशील पदार्थो का रख रखाव सुव्यवस्थित पाया गया।
9– विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक श्रोत के अन्तर्गत जनरेटर सेट लगा पाया गया।
10– सेट बैक मानक के अनुसार वाछित है।
11– निषकमण योजना एवं ड्रिल कराया जाना वाछित है।
12– भवन में मार्क ड्रिल कराया जाना वाछित है।
13– अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण कराया जाना वांछित है।
14– विहित फीस जमा करने के पश्चात अग्नि शोधन का सावधि नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराया जाना वांछित है।

अतः उपरोक्त सभी अग्निशमन / जीवरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील बनाये रखना तथा नेशनल बिल्डिग कोड आफ इण्डिया 2005 तथा उ0प्र0 अग्नि निवारण व अग्निसुरक्षा नियमावली 2005 के नियम 04 व मानक सं0 2190:1992 मे दिये गये निर्देशों के अनुसार अग्निशमन / जीवरक्षा व्यवस्था कराया जाना प्रबन्धक / प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व होगा के शर्त पर अग्निशमन / जीवरक्षा व्यवस्था का नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है जो निर्गत तिथि से 01 वर्ष तक वैद्य माना जाएगा। उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था अकार्यशील होने के कारण तथा दिये गये निर्देशों का पालन न करने की दशा में यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

20.6.20

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोरखपुर।